




रजि. एडी

एम लिमिटेड राष्ट्रीय सहायक अभियन्ता

कार्यालय सहायक अभियन्ता (O&M) चाकसू जिला जयपुर  
क : स. अ. / चाकसू / उपशाखा प्रेषक..... 5763 दिनांक 3-10-12

**मांग - पत्र**

श्री Jagannath University पुत्र श्री  
ग्राम Mr. Chaksu by Pass near Road पोस्ट Ramkuan Bujurg  
तहसील चाकसू जिला जयपुर ( राज. ) Jaipur



893

विषय : विद्युत कनेक्शन के लिये सूचना

अधिशायी अभियन्ता ( ग्रामीण ) जयपुर के पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....  
द्वारा स्वीकृत आपका आवेदन पत्र संख्या Pr. J. 01/01-02 दिनांक 16/5/12  
कनेक्शन हेतु 230/400 वोल्ट के लिये 200/0 स्वीकृत  
व सुरक्षा राशि इस कार्यालय में जमा करावें। जिससे आपको  
K.N. - 2105 310 24 903

1. मीटर बाक्स की राशि
  2. खम्बों की राशि
  3. सर्विस कनेक्शन चार्ज
  4. सुरक्षा राशि 2000 एफ.पो. / वाट हेतु 200X 2
  5. किरायेदार होने के नाते सुरक्षा राशि.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  10. कुल योग Rs - 40,000/
- खर्चांची -

RLAD CHAKSU 53039017  
RLAD A RR350087060IN  
Counter No:1, DP-Code:05  
#####  
PrePS:Rs25.00  
#####  
Dt:20grams, 05/10/2017  
To:Chaksu S.O.53039017



रु. ....  
रु. ....  
रु. ....  
रु. 40,000 ✓

सहायक अभियन्ता

**शर्तें एवं हिदायतें**

1. उक्त राशि के साथ जमीन का पट्टा/ सरपंच से मकान होने का प्रमाण पत्र /नगरपालिका से जमा कराते समय जमावन्दी व नक्शों की नकल लायें। पिछले 5 वर्षों की जमावन्दी लायें।
2. यदि उपरोक्त राशि को मांग पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर जमा नहीं कराई गई तो आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जावेगा। राशि का नकद भुगतान रूपये 20,000 तक एवं इससे अधिक होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जिनका भुगतान स्थानीय बैंक शाखा में होना आवश्यक है, स्वीकार्य है। बैंक आस्वीकार्य है।
3. कनेक्शन देने की अग्रिम कार्यवाही तब की जा सकेगी जब आप लाईसेन्सधारी किसी ठेकेदार द्वारा जारी एल. फार्म इस कार्यालय को जमा करा दें। मांग पत्र की राशि का समय 10 घण्टे से 2 घण्टे तक का है।
4. यदि आप किरायेदार हैं तो ..... रूपयें धाण्ड पर इकारारनामा करना होगा।
5. आपको उचित क्षमता का कंपीसीटर लगाना होगा। अन्यथा आपको कनेक्शन से वंचित होना पड़ेगा। ISI Mark 2 KVAR/3 KVAR/4 KVAR का विल व टैस्ट रिपोर्ट लायें।
6. कनेक्शन सामग्री उपलब्ध होने पर कनेक्शन दिया जावेगा।

विशेष :- आपको उपरोक्त कृषि कनेक्शन वाले कुएं/ट्यूबवेल पर कभी भी विद्युत चोरी का प्रयोग नहीं करना होगा।  
है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



Certified True Copy

Registrar  
Jagan Nath University, Jaipur

सहायक अभियन्ता ( प.च.रा. )  
जयपुर डिवीजन चाकसू ( जयपुर )